




राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर

RAJASTHAN ELECTRONICS & INSTRUMENTS LIMITED, JAIPUR

(भारत सरकार का उद्यम - A Government of India Enterprise)

(An ISO 9001 & ISO 14001 – “Mini Ratna” Central Public Sector Enterprise)



स्पीड पोस्ट

रील/आरई/2023-24/ 4551

दिनांक - 27.12.2023

श्रीमान,

प्राचार्य,

राजकीय विधि महाविद्यालय नागौर,

बी. आर मिर्धा महाविद्यालय के पीछे,

नागौर - 341001 (राजस्थान)

महोदय,

इस पत्र के साथ मूल अनुबंध पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृते : राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी

पंजीकृत कार्यालय : 2, कनकपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, सिरसी रोड, जयपुर - 302034 (राजस्थान) भारत

दूरभाष : +91-141-2470363, 2470784 (इलेक्ट्रॉनिक्स), 2470908 (अक्षय ऊर्जा), 2471083 (सा.प्र.)

ई-मेल : [reiljp@reiljp.com](mailto:reiljp@reiljp.com) | वेबसाइट: [www.reiljp.com](http://www.reiljp.com)

GSTIN: 08AABCR1528G1ZL, CIN: U51395RJ1981G0I002249





BP 670074

### अनुबन्ध पत्र

( "Design, Supply, Installation & Commissioning of Grid connected SPV Power Plants in Government Colleges including maintenance for the period of five years" हेतु राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड, जयपुर व राजकीय महाविद्यालय <sup>बिब</sup> ~~नागौर~~..... के मध्य किये जाने वाला अनुबन्ध पत्र) आज दिनांक 09/01/2024 को राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड, जयपुर (REIL) पता 2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, सिरसी रोड जयपुर (राजकीय उपक्रम) एवं राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान, (लाभार्थी संस्था) पता S.B.R.M. के पीछे ~~नागौर~~..... के मध्य 0.5 किलोवॉट एस. पी. वी. ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लान्ट के डिजाईन आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग संधारण एवं रखरखाव हेतु यह अनुबन्ध निष्पादित किया गया है। इस अनुबन्ध की सभी निम्नलिखित शर्तों से REIL व लाभार्थी पाबन्द रहेगे।

#### A विवरण :-

1. यह अनुबन्ध, राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड, जयपुर एवं कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के मध्य हुए MOU दिनांक 13.06.2023 के अन्तर्गत निष्पादित किया जा रहा है। (अनुलग्नक-1). MOU की सभी शर्तों एवं नियम की पालना REIL एवं लाभार्थी संस्था को करनी होगी।
2. यह कि लाभार्थी संस्था द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप स्थान पर ~~अबन~~ <sup>अबन</sup> ~~के लिए~~ <sup>के लिए</sup> 0.5 किलोवॉट क्षमता का कुल एस. पी. वी. ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लान्ट लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है/ सहमति दी गई है।
3. यह कि पावर प्लान्ट की कुल लागत रुपये 3,81,230/-..... हैं। (GST Included) यह तथ्य REIL द्वारा लाभार्थी को भली-भांति अवगत / समझा दिया गया है।



*Handwritten Signature*  
Principal  
Govt Law College  
Nagaur

### B. लाभार्थी के दायित्व:-

1. यह कि लाभार्थी संस्था REIL को वांछित छाया रहित पार्किंग स्टैंड / खुला क्षेत्र सोलर मोड्यूल स्थापना हेतु एवं पीसीयू आदि की स्थापना हेतु उपलब्ध करवायेगा।
2. लाभार्थी संस्था द्वारा एस. पी. वी. ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लान्ट की स्थापना व अन्य आवश्यक कार्यों हेतु निम्नानुसार भुगतान किया जायेगा -

1.	70% of the Project Cost as advance (1 <sup>st</sup> tranche)	within 15 days of signing of the agreement between REIL and respective identified college
2.	20% amount (2 <sup>nd</sup> tranche) of Project Cost	Within 15 days of supply of material at site / college.
3.	10% amount (3 <sup>rd</sup> tranche) of Project Cost	on commissioning of the Solar PV Plant at respective College and <b>after submission of Bank Guarantee of 10% of value of the Project cost excluding GST.</b>

On releasing of payments TDS shall be made as per prevalent provisions.

3. यह कि लाभार्थी संस्था सिस्टम खराब होने पर REIL के कर्मचारियों को सूचित करेंगे न कि स्वयं सिस्टम को ठीक करने का प्रयास करेंगे।
4. यह कि लाभार्थी संस्था लगाये गये उपकरण की सुरक्षा के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा व चोरी होने पर पुलिस में तत्काल एफआईआर दर्ज करा के सम्बन्धित रील अधिकारी को सूचित करेगा।
5. महाविद्यालय REIL से समन्वय करने, सोलर प्लांट की स्थापना से संबंधित समस्त कार्य एवं नेट मीटरिंग कार्य हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।
6. आवश्यक डिस्कॉम शुल्क / एसडी / दस्तावेजीकरण का कार्य संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

### C. REIL के दायित्व:-

1. यह कि REIL लाभार्थी संस्था को उसकी वर्तमान विद्युत आवश्यकता / लोड का अधिकतम 100 प्रतिशत क्षमता का सोलर पावर प्लान्ट स्थापना हेतु सुझाव देगा। लोड बढ़ाने की आवश्यकता होने पर डिस्कॉम संबंधित कार्यवाही महाविद्यालय द्वारा निष्पादित की जायेगी।
2. यह कि उपकरण स्थापना पश्चात् लाभार्थी को संभालने (Handing Over) के दिन उपकरण पूर्णतया कार्यशील होगा व कोई हिस्सा टूटा-फूटा या बेकार नहीं होगा।
3. REIL लाभार्थी को देव नागरी लिपी / अंग्रेजी भाषा में सिस्टम की पूर्ण जानकारी एवं क्या करें क्या ना करें तथा संचालन मेनुअल उपलब्ध करवाएंगे।
4. यह कि वर्तमान में नेट मीटरिंग हेतु जोधपुर / जयपुर / कोटा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के नियम के अनुसार लाभार्थी संस्था को पावर प्लान्ट से उत्पन्न होने वाली एवं ग्रिड में जाने वाली अतिरिक्त ऊर्जा का लाभ मिल सकें इस हेतु समस्त नियम एवं दिशा निर्देश उनके आदेश के अनुसार लागू होंगे। REIL नेट मीटरिंग व्यवस्था के लिए लाभार्थी संस्था को सहायता प्रदान करेगा।
5. एसपीवी पावर प्लांट का रखरखाव कमीशनिंग की तारीख से 05 वर्ष की अवधि के लिए होगा। आरईआईएल कॉलेज को परियोजना लागत (जीएसटी को छोड़कर) के मूल्य का 10 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में Performance security जमा करेगा। Performance security furnished in the form bank Guarantee shall remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations of the bidder, including warranty obligations and maintenance and defect liability period.
6. संयंत्र में किसी भी खराबी के मामले में, REIL समस्या की रिपोर्ट करने के दिन से 07 दिवस के भीतर खराबी को ठीक करने के लिए सहायता और सेवा प्रदान करेगा। यदि REIL 07 दिवस के भीतर उचित रखरखाव / समस्या को ठीक करने में विफल रहता है, तो पेनल्टी लगाई जायेगी। एक महीने तक प्रति सप्ताह 200 रुपये की पेनल्टी लगाई जायेगी। विलंब की अवधि को सप्ताह के गुणक में गिना जाएगा। एक महीने तक की और देरी के लिए, बैंक गारंटी राशि का 1 प्रतिशत और 2 महीने के बाद पूरी बैंक गारंटी जब्त कर ली जायेगी।

7. यह कि REIL अपने कर्मचारियों/एजेन्ट को इस कार्य के लिए जिला मुख्यालय (or at proper place) पर नियुक्त रखेंगे जिससे लाभार्थी इनसे सीधे सम्पर्क रख सकेंगे। इस बाबत कर्मचारी के सम्पर्क नम्बर आवश्यक रूप से लाभार्थी संस्था को उपलब्ध करवायेगा।
8. REIL के कर्मचारियों/एजेन्ट को पहचान पत्र देकर रखेंगे जो दिखाने पर ही लाभार्थी संस्था द्वारा उनको पावर प्लान्ट स्थापना स्थान पर प्रवेश करने दिया जायेगा।
9. REIL विभागीय कर्मचारियों को सोलर प्लान्ट के संचालन से संबंधित आवश्यक एक दिवस का प्रशिक्षण देगा।
10. प्रस्तावित ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार के मानदंडों और विनिर्देशों के अनुसार स्थापित किया जाएगा। (अनुलग्नक-2)
11. REIL के द्वारा सोलर प्लान्ट के स्थापन, परीक्षण एवं कमीशनिंग के पश्चात लाभार्थी संस्था को सुपुर्द किया जायेगा।
12. REIL के द्वारा प्रथम किस्त की राशि प्राप्त होने के 5 माह के अन्दर सोलर प्लांट की स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण किये जायेगे।
13. सभी सहायक उपकरण रील द्वारा प्रदान किए जाएंगे जो प्रत्येक चयनित साइट पर परियोजना को चालू करने के लिए आवश्यक होंगे।
14. नेट मिटरिंग के कारण होने वाले विलम्ब के लिये REIL उत्तरदायी नहीं होगा।
15. REIL द्वारा सोलर प्लांट का इंश्योरंस करवाया जावेगा।

**D. अन्य प्रावधान :-**

1. GF&AR का Liquidated damages (LD) Clause लागू होगा।
2. दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को आयुक्त, कॉलेज विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजा जाएगा।

यह अनुबन्ध आज दिनांक 09/01/2024 को दोनों पक्षों ने अपनी पूर्ण समझ बूझ एवं सहमति से निष्पादित किया है एवं उक्त शर्तों से भविष्य में पाबन्द रहेंगे।



*Handwritten Signature*  
हस्ताक्षर  
**Principal**  
Govt Law College  
Nagaur

रील के अधिकृत प्रतिनिधि	लाभार्थी संस्था/संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि का
नाम ..... <u>निकुल पाठक</u>	नाम ..... <u>इस ईनामिया</u>
पद ..... <u>उप महाप्रबंधक-१</u>	पुत्र श्री ..... <u>राजेन्द्र सिंह ईनामिया</u>
विभाग ..... <u>गदी, का</u>	पता ..... <u>राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर</u>
मो. न. <u>7727011727</u>	जिला ..... <u>नागौर</u>